International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232, Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 2; Issue 4; July 2016; Page No. 67-70

मनुस्मृति में वर्णित विवाह–प्रकारों में नारी विषयक चिन्तन की दुर्बलता

डॉ0 साधना सहाय

प्राचार्या, इ0ने0म0स्ना0 महाविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

मनु द्वारा वर्णित विवाह के आठ प्रकारों पर दृष्टिपात करने पर उनमें पर्याप्त विषमता के दर्शन होते हैं, जैसे मनु ने जो आठ प्रकार के विवाह बताए हैं उनमें आसुर और पैशाच विवाह अधर्मयुक्त हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये दो प्रकार के विवाह यदि अधर्मयुक्त हैं तो वैश्य एवं शूद्र, के लिए इनका विधान क्यों किया गया? इस विवाह की गणना विवाह में की ही नहीं जानी चाहिये थी। दूसरा प्रश्न यह है कि अधर्मयुक्त विवाह करने वाला पुरूष अधार्मिक होगा ही, फिर किस आधार पर आसुर विवाह वैश्य एवं शूद्र के लिए प्रशंसनीय माना गया क्योंकि अधार्मिक कृत्य प्रशंसनीय हो ही नहीं सकता न वैश्य के लिए न ही शूद्र के लिए। इसी प्रकार राक्षस विवाह केवल क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त कहा गया, अतः उसका विधान भी केवल क्षत्रिय के लिए ही किया गया। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक विवाह एक विशिष्ट जाति के व्यक्ति के लिए धर्मयुक्त तथा दूसरी जातियों के लिए अधर्मयुक्त कैसे हो सकता है। इस प्रकार के नियम निश्चय ही सामाजिक असमानता एवं विषमता को बढ़ावा देते गए।

यदि ध्यान से देखा जाए तो इन आठों विवाह, में सबसे निंदनीय विवाह राक्षस विवाह है क्योंकि इसमें कन्या से विवाह नहीं किया जाता अपितु बलात् उसका अपहरण किया जाता है। माता–पिता आदि बन्धु–बान्धवों को मारकर या घायल कर घर का द्वार तोड़–फोड़ कर रोती चिल्लाती कन्या से विवाह को कैसे मान्यता दी जा सकती है, क्योंकि वैवाहिक बन्धन एक पवित्र बन्धन है जिसमें दो परिवार परस्पर एक सूत्र में बंधते हैं। इसी प्रकार यदि वर–वधू भी परस्पर समर्पण भाव रखते हैं, तभी सफल दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर सकते हैं। बलात्कार को विवाह की संज्ञा कदापि नहीं दी जा सकती। इस प्रकार के विवाह ने समाज में नारी की स्थिति को बहुत शोचनीय बना दिया। शक्तिशाली राजाओं द्वारा नारी का अपहरण, एक सामान्य बात हो गई। नारी के लिए युद्ध छिड़ने लगे। रामायण में सीता का अपहरण, महाभारत में द्रौपदी की स्थिति आदि इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। प्रारम्भ में तो यह क्षत्रियों तक ही सीमित रहा किन्तु शनैः–शनैः हर वर्ग एवं जाति के दुराचारी व्यक्ति कन्याओं का बलपूर्वक अपहरण करने लगे। आज तो समाज में अपहरण एक सामान्य बात हो गयी है।

इस प्रकार मनु ने क्षत्रियों के लिए अतिनिंदनीय राक्षस विवाह को भी मान्यता प्रदान कर दी। मनु ने अति निंदनीय विवाह पैशाच माना क्योंकि उसमें सोई हुई मद से युक्त अपनी रक्षा में असमर्थ कन्या से विवाह किया जाता है। स्वयं ही इस प्रकार का विवाह भी एक प्रकार का बलात्कार एवं अपहरण ही है जो कदापि मान्य नहीं हो सकता किन्तु राक्षस विवाह में तो माता–पिता का वध करके भी विवाह करने की बात को स्वीकारा गया है जो, अत्यंत लज्जास्पद है। आसुर विवाह को निंदनीय मानने का कारण उसमें वर से धन ग्रहण कर कन्या का विवाह करना है क्योंकि ब्राहम विवाह, दैव विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह में कन्या पक्ष द्वारा कन्या एवं वर को वस्त्रालंकार आदि दान देने की बात कही गयी है अर्थात् मनु की दृष्टि में दान के रूप में वस्त्र, आभूषण आदि सामग्री कन्या पक्ष की ओर से दिया जाना तो उचित है किन्तु वर पक्ष से धन लेकर विवाह करना कन्या को बेचने जैसा है। इस नियम में भी नारी को हेय समझने का मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट दिखायी देता है। इस नियम ने कन्या के साथ वस्त्रादि के दान के नाम पर दहेज प्रथा का सूत्रपात किया जो सुरसा के मुँह की तरह बढ़ता ही गया। बिना दहेज के कन्या का विवाह करना दुष्कर होता चला गया।

आचार्य मनु द्वारा बनाए गए स्त्रियों के विवाह के आठ प्रकार,[1] निम्न है :–

ये आठ प्रकार है :–

1– ब्राह्म विवाह
2– दैव विवाह
3– आर्ष विवाह
4– प्राजापत्य विवाह
5– आसुर विवाह
6– गान्धर्व विवाह
7– राक्षस विवाह
8– पैशाच विवाह (अधम)

आचार्य मनु ने इन आठ प्रकार के विवाह के जो लक्षण दिये हैं उनका संक्षेप में सार इस प्रकार है :–

1. **ब्राह्म विवाह**– वेदपाठी सदाचारी वर को स्वयं बुलाकर, उसकी अर्चना करके तथा वस्त्र, आभूषणादि से अलंकृत कर कन्यादान करना – धर्मयुक्त ब्राह्म विवाह है।[2]
2. **दैव विवाह**– विधि पूर्वक याज्ञिक कर्म करते हुए ऋत्विक के लिए वस्त्र, अलंकारादि प्रदान कर, आभूषणों से कन्या को अलंकृत कर दान करने को – धर्मयुक्त दैव विवाह कहा जाएगा।[3]
3. **आर्ष विवाह**– गाय अथवा बैल लेकर अथवा कन्या को देने के लिए यज्ञादि धार्मिक कार्य हेतु वर से धन लेकर विधि पूर्वक कन्या दान करने को – धर्मयुक्त आर्ष विवाह है।[4]
4. **प्राजापत्य विवाह**– 'तुम दोनो (वर–वधू) साथ में धर्माचरण करो। ऐसा वचन कहकर तथा पूजन करके वस्त्र, अलंकारादि से कन्या दान करना – धर्मयुक्त प्राजापत्य विवाह है।[5]
5. **आसुर विवाह**– वर द्वारा जातिवालों (कन्या के पिता, चाचा, ताऊ आदि) तथा कन्या के लिए यथाशक्ति धन देकर स्वेच्छा से कन्या को स्वीकार करना – आसुर विवाह है।[6]
6. **गान्धर्व विवाह**– कन्या और पुरूष के इच्छानुसार परस्पर स्नेह से संयोग होना गान्धर्व विवाह है।[7]
7. **राक्षस विवाह**– कन्या के पक्ष वालों को मारकर या उनका अंग छेदनादि कर, घर द्वार को तोड़कर रोती, चिल्लाती हुई कन्या का बलात् हरण करना राक्षस विवाह है।[8]
8. **पैशाच विवाह**– सोई हुयी, मद आदि से व्याकुल अपने शील की रक्षा करने में प्रमादयुक्त कन्या के साथ विवाह करना अत्यन्त निंदनीय आठवां पैशाच विवाह माना गया है।[9]

इन आठ विवाह प्रकारों में प्रथम छः विवाह – बाह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व – ब्राहम्ण के लिए मान्य हैं। इन छः

विवाहों में भी प्रथम चार विवाह ब्राहम, दैव, आर्ष और प्राजापात्प विवाह ब्राहमण के लिए श्रेष्ठ हैं।
क्षत्रियों के लिए अन्तिम चार विवाह अर्थात् – आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच मान्य हैं।
वैश्य एवं शूद्र के लिए – राक्षस विवाह को छोड़कर अन्तिम तीन विवाह मान्य हैं अर्थात – वैश्य एवं शुद्र के लिए आसुर, गन्धर्व, पैशाच विवाह मान्य हैं।
इनमें ब्राहमण के लिए प्रथम चार विवाह, क्षत्रियों के लिये राक्षस विवाह और वैश्य तथा शूद्र के लिए आसुर विवाह को प्रशंसनीय माना गया। इन आठों विवाह प्रकारों में आचार्य मनु ने आसुर और पैशाच विवाहों को निंदनीय एवं अधर्मयुक्त माना तथा अन्य सभी विवाह प्रकारों को धर्मयुक्त माना। राक्षस और गान्धर्व विवाह पृथक्–पृथक् अथवा मिश्रित रूप से क्षत्रिय के लिए ही धर्मयुक्त माने गए अन्य वर्गो के लिए नहीं।
उपर्युक्त आठों प्रकार के विवाह लक्षणों पर दृष्टिपात करने पर उनमें पर्याप्त विषमता के दर्शन होते हैं। कौन सा विवाह धर्मयुक्त है और कौन सा अधर्मयुक्त प्रथम दृष्टि में तो यही स्पष्ट नहीं होता क्योंकि एक ओर आचार्य आसुर और पैशाच विवाह को अधर्मयुक्त घोषित करते हैं तो दूसरी ओर आसुर विवाह को वैश्य एवं शूद्र के लिए प्रशंसनीय मानते हैं। इसी प्रकार राक्षस और गान्धर्व विवाह क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त है किन्तु ब्राहण, वैश्य और शूद्र के लिए अधर्मयुक्त। ऐसा क्यों है? इसके उत्तर में आचार्य मौन हैं। एक यक्ष प्रश्न और उठता है कि एक विवाह प्रकार एक जाति के लिए श्रेष्ठ तथा दूसरी जाति के लिए निंदनीय कैसे हो सकता है। जो विवाह धर्मयुक्त (आसुर, पैशाच) नहीं है उनका विधान किसी भी जाति के लिए क्यों? इस प्रकारों की गणना विवाह में की नहीं जानी चाहिए थी। अधर्मयुक्त विवाह करने वाला पुरूष अधार्मिक ही कहलाया जाएगा फिर चाहे वह किसी भी वर्ण या जाति का क्यों न हो। निश्चित रूप से इस प्रकार के नियम सामाजिक असमानता एवं विषमता को बढ़ावा देते हैं।
यदि ध्यान से देखा जाए तो इन आठों विवाहों में सबसे निंदनीय एवं घृणित विवाह राक्षस विवाह है, क्योंकि इसमें कन्या से विवाह नहीं किया जाता अपितु बलात् उसका अपहरण किया जाता है। बलात्कार को कदापि विवाह की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार के विवाह प्रकारों ने समाज में नारी की स्थिति को अत्यन्त शोचनीय बना दिया। शक्तिशाली राजाओं द्वारा नारी का अपहरण एक सामान्य बात हो गयी। नारी के लिए युद्ध छिड़ने लगे। रामायण में सीता का अपहरण, महाभारत में द्रौपदी का चीर–हरण इसमें ज्वलंत प्रमाण हैं। प्रारम्भ में तो यह क्षत्रियों तक ही सीमित रहा किन्तु शनैः–शनैः हर वर्ग एवं जाति के दुराचारी तथा बलिष्ठ व्यक्तियों द्वारा कन्याओं का बलपूर्वक अपहरण किया जाने लगा जो आज तक चला आ रहा है।
आचार्य मनु ने अति तुच्छ एवं निंदनीय विवाह पैशाच माना क्योंकि उसमें सोई हुयी मद से युक्त अपनी रक्षा में असमर्थ कन्या से विवाह किया जाता है। निश्चय ही इस प्रकार का विवाह भी एक प्रकार से बलात्कार एवं अपहरण ही है जो कदापि मान्य नहीं हो सकता, किन्तु राक्षस विवाह में तो माता–पिता के वध तक की अनुमति प्रदान कर विवाह को स्वीकारा गया जो नितान्त घृणास्पद है। आचार्य मनु ने आसुर विवाह को भी निंदनीय माना है तथा आसुर विवाह को निंदनीय माने जाने का कारण वर से धन ग्रहण कर कन्या का विवाह करना है तथा मनु के मतानुसार वर पक्ष से धन लेना अनुचित कार्य है। यद्यपि आचार्य मनु ने वर पक्ष द्वारा दिए गए धन को यदि कन्या के माता–पिता द्वारा कन्या को ही दे दिया जाता है, स्वयं पर व्यय नहीं किया जाता तो उसे कन्या विक्रय नहीं माना है अपितु कन्या पर दया माना है।[10] तथापि आर्ष विवाह में वर पक्ष से यज्ञादि के व्यय हेतु एक गाय या एक बैल लेने को[11] अनुचित माना है क्योंकि कन्या के विवाह के लिए वर पक्ष से अधिक धन लेना कन्या विक्रिय है।[12]
अब प्रश्न यह उठता है कि कन्या पक्ष से कन्यादान के नाम पर वस्त्राभूषण आदि ग्रहण करना क्या वर विक्रय नहीं माना जाना चाहिए। ब्राहम विवाह, दैव विवाह, प्राजापात्य/ आर्ष विवाहों में कन्या पक्ष द्वारा कन्या एवं वर को वस्त्रालंकार आदि दान देने की बात कही गयी है अर्थात् मनु की दृष्टि में दान के रूप में वस्त्र, आभूषण आदि सामग्री कन्या पक्ष की ओर से दिया जाना उचित है किन्तु वर पक्ष से धन लेकर विवाह करना निंदनीय है तथा कन्या विक्रिय है। स्पष्ट है कि इस नियम में भी नारी को हेय समझने का मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट दिखायी देता है। इस नियम ने ही समाज में दहेज प्रथा का सूत्रपात किया जो सुरसा के मुँह की तरह बढ़ता ही चला गया।
सामान्य तौर पर मनु ने सजातीय विवाह का नियम बनाया अर्थात् – ब्राहमण पुरूष को ब्राहमण कन्या से, क्षत्रिय को क्षत्रिय कन्या से, वैश्य को वैश्य जाति की ही कन्या से तथा शूद्र को शूद्र जाति की ही कन्या से विवाह करना चाहिए किन्तु यदि अपने वर्ग की कन्या न मिले तो ब्राहमण पुरूष को क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कन्या से, इसी प्रकार क्षत्रिय पुरूष वैश्य तथा शूद्र कन्या से, वैश्य शूद्र कन्या से, विवाह कर सकता है किन्तु ब्राहमण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को शूद्र से विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि शूद्र स्त्री एवं उससे उत्पन्न सन्तान कुल को शूद्रत्व प्रदान कर सकते हैं। नियम की विषमता देखिए कि विवाह हो सकता है किन्तु करना नहीं चाहिए।
उपर्युक्त नियम पर दृष्टि डालें तो मनु का एक दृष्टिकोण सामने आता है कि पुरूष अपने से निम्न वंश की कन्या से तो विवाह कर सकता है किन्तु उच्च वर्ण की कन्या से नहीं जैसे क्षत्रिय पुरूष वैश्य एवं शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है किन्तु ब्राहमण की कन्या से नहीं। वैश्य पुरूष शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता है किन्तु ब्राहमण और क्षत्रिय की कन्याओं से नहीं तथा शूद्र केवल शूद्र वर्ग में ही विवाह कर सकता है अन्य किसी से नहीं। कामवासना की शान्ति के लिए[13] निम्न वर्ग की कन्या से[14] से विवाह किया जा सकता है। इसी प्रकार राक्षस विवाह केवल क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त कहा गया। अतः इस विवाह का विधान भी केवल क्षत्रिय के लिए किया गया।
इस नियम ने भी कन्या विवाह को जटिल एवं दुष्कर बना दिया। यहॉ विवाह का आधार मात्र जाति निश्चित की गयी गुण नहीं। आचार्य मनु ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि यदि कोई कन्या अति गुणी हो तो शूद्रा होने पर या वैश्य की होने पर ब्राहमण द्वारा वरेण्य है। शूद्र कुल में उत्पन्न होना जैसे शाप हो गया। इसी प्रकार वैश्य एवं क्षत्रिय कन्याओं का क्षेत्र भी अधिक संकुचित हो गया।[15] ब्राहमण की कन्या का दायरा तो अत्यधिक संकुचित हो गया क्योंकि ब्राहमण पुरूष कामवासना की पूर्ति के लिए तो चारों वर्गो में से किसी भी वर्ग की कन्या के साथ विवाह करने में स्वतन्त्र हो गया किन्तु ब्राहमण कन्या से वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र कोई भी विवाह नहीं कर सकता था सिवाय ब्राहमण के। साथ ही ब्राहमण पुरूष से विवाह के लिए जितने गुण मनु ने बताए वो नियम सामान्यता अधिकांश कन्याओं में होने कठिन थे। अतः ऐसी कन्याऐं अविवाहित एवं अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हुई।
इस नियम में एक अन्या विषमता का सूत्रपात मनु के इस विधान ने कर दिया कि ब्राहमण का श्रेष्ठ विवाह वही है जो ब्राहमण कन्या से हुआ हो, संतान भी वही श्रेष्ठ मानी गयी सजो ब्राहमण स्त्री से उत्पन्न हो[16] इस नियम ने अपने से हीन वर्ण वाली स्त्री से विवाह को तथा उस स्त्री से उत्पन्न संतान को सवर्ण से उत्पन्न संतान की अपेक्षा हीन बना दिया। ऐसी स्थिति में यदि कन्या का जन्म हीन वर्णवाली स्त्री से हुआ हो तो तब उसकी स्थिति कितनी दयनीय एवं शोचनीय होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

यहॉ प्रश्न यह है कि यदि इस प्रकार के भेद–प्रभेद करने थे तो यह नियम बनाने की आवश्यकता ही क्या थी, स्पष्ट है कि पुरूष को तो हर प्रकार के आचरण की खुली छूट दे दी गयी तथा यह छूट स्त्री को प्रदान नहीं की गयी। स्वाभाविक है कि रूप सौन्दर्य से युक्त शूद्र या वैश्य की कन्या को कोई भी पुरूष उपभोग के लिए अपना सकता था किन्तु उसे और उसकी संतान को सम्मान नहीं दे सकता था। कहने का अभिप्राय यह है कि इन वर्णों की नारियों को पुरूष जब चाहे स्वीकार कर ले और जब चाहे शूद्रा या हेय कहकर त्याग दे। स्पष्ट है कि पुरूष को समाज में हर प्रकार के आचरण की छूट दे दी गयी, किन्तु दण्ड की अधिकारी नारी ही घोषित की गयी। इसे कोई अधिकार नहीं दिए गए।

आचार्यवर ने विवाह के समय किए जाने वाले संस्कारों में भी जाति के आधार पर असमानता युक्त नियम बनाए जैसे सवर्ण कन्या का शास्त्रानुसार पाणिग्रहण का विधान किया गया तथा असवर्ण कन्या का क्रमशः हाथ में ग्रहण किए हुए बाण का एक भाग कोड़ा तथा वस्त्र पकड़कर विवाह का विधान किया गया।[17] इस प्रकार के नियमों ने समाज में जहॉ एक ओर जाति प्रथा को बढ़ावा दिया वहीं ऊॅच–नीच का भेद–भाव भी उत्पन्न किया क्योंकि एक तो पहले ही समाज में नारी को शूद्रा के समान मात्र पति सेवा के लिए नियुक्त किया गया दूसरी ओर उसमें ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि विभाग कर उसकी स्थिति को अत्यन्त जटिल बना दिया गया।

नारी के लिए पति चयन की स्वतन्त्रता नहीं रखी गयी किन्तु पुरूष वर्ग के लिए पृथक्–पृथक् नियम बनाकर हर प्रकार की स्वतन्त्रता प्रदान करदी गयी। इतना ही नहीं एक ओर ब्राहमण पुरूष के लिए शूद्र नारी से विवाह की अनुमति भी प्रदान कर दी गयी तो दूसरी ओर उसे कुलनाशक कहकर त्यागने की भी भरपूर सुविधा प्रदान की दी गयी। शूद्रापत्यैश्च केवलैः[18]

दान के नाम पर वर, उसके बन्धु, बान्धव तथा कन्या से सम्बन्धित दहेज की भी व्यवस्था कर दी गयी किन्तु कन्या के माता–पिता द्वारा वर पक्ष से विवाह खर्च के लिए धन लेने को हेय निंदनीय कर दिया गया।

इसी प्रकार एक ओर तो कन्या का संस्कार विवाह हीं माना गया, उसके जन्म पर किसी भी प्रकार के संस्कार को इसी आधार पर मनाही की गयी किन्तु दूसरी ओर केवल सवर्ण कन्या का ही विवाह संस्कार माना गया असवर्ण कन्या से विवाह शास्त्रोक्त विधि अनुसार न कराकर मात्र बाण, चाबुक आदि का भाग पकड़कर विवाह कार्य सम्पन्न कराने से उसे संस्कार से भी वंचित कर दिया गया।

स्पष्ट है कि आठों स्त्री विवाह के नियम विवेक से कम तथा पुरूष अहं अथवा पुरूष मानसिकता से अधिक बनाए गये जिसमें मात्र एक बात का ध्यान रखा गया कि नारी को नियमों के ऐसे जंजाल में फंसा दिया जाए जिससे वह मुक्त न हो सके।

भविष्य में हुआ भी यही। कन्या का जन्म अभिशाप बनकर रह गया उसका विवाह दुष्कर होता गया। दहेज के लिए माता–पिता को अपना जीवन समर्पित करना पड़ा। पुत्र न होने पर उसे घर से निकाला गया। कभी शूद्रा, कभी पुत्रहीना कहकर प्रताड़ित किया गया। मनुस्मृति में सबसे बड़ी शूद्रा नारी बना दी गयी जिसका न कोई अधिकार था न ही कोई कार्य क्षेत्र। गुणों का होना भी महत्व नहीं रखता था। बस एक ही बात सर्वोपरि थी कि वह पूर्णरूपेण पति की दया पर निर्भर थी। नियमों में इतने छिद्र छोड़ दिये गए कि किसी भी कन्या को कुछ भी कहकर निकाला जा सके और कुछ भी कहकर स्वीकारा जा सके।

विवाह के नियम बनाते समय आचार्य मनु ने कहा कि पुरूष को विवाह करते समय कन्या के निम्न 10 कुल छोड़ देने चाहिए (भले ही वे कुल गाय, बकरी तथा धनधन्यादि से समृद्ध हों और महान् हों)[19] अर्थात् क्रियाओं से हीन, पुरूष सन्तति से रहित, वेदाध्ययन से शून्य, अत्यन्त दीर्घ रोग वाले, अर्श, क्षय, मन्दाग्नि, मृगी, श्वित्र तथा कुष्ठ रोगयुक्त कुलों को त्याग देना चाहिए।

इसी प्रकार भूरे बालों वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए न ही अधिक अंगों वाली, रोगिणी रोमहीन, अत्यन्त रोमवाली, अधिक बोलने वाली, पीले नेत्र वाली कन्या से भी विवाह नहीं करना चाहिए।[20]

नक्षत्र, नदी एवं वृक्ष के नाम वाली, म्लेच्छ तथा पर्वत के नाम वाली, पक्षी, सर्प एवं दास के नाम वाली, भयंकर नाम वाली कन्या से भी विवाह नहीं करना चाहिए।[21]

जिसका भाई न हो, पिता का पता नहीं हो ऐसी कन्या से भी बुद्धिमान व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिये। पुत्री तथा अधर्म की शंका से पुत्रिकर अर्थात् पुत्री के पुत्र (धेवते) को गोद लेने की इच्छा पिता कर सकता है अतः ऐसी कन्या से विवाह नहीं किया जाना चाहिए।[22]

कैसी कन्या से विवाह करना चाहिए इसका भी विधान स्मृतिकार ने निम्न प्रकार से माना –

पूर्ण अंगों वाली, सुन्दर नाम वाली, हंस एवं हाथी के समान चाल वाली, सूक्ष्म रोम, केश एवं दांतों वाली, कोमल अंगों वाली स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए।[23]

आचार्य मनु के बनाए हुए इन नियमों पर्याप्त विषमता दृष्टिगत होती है जैसे, दीर्घ रोम वाली, कम रोम वाली, अधिक रोम वाली कन्या से विवाह निषेध समझ नहीं आता क्योंकि कन्या कैसे रोम वाली है इसका निर्णय अत्यन्त कठिन है और निषेध का यह आधार सर्वथा दोषपूर्ण है। इसी प्रकार जिस कुल में पुत्र न हो अथवा कन्या का भाई न हो तो यह नारी को हेय और पुरूष को उत्तम मानने की निन्दनीय अवधारणा है। स्त्री और पुरूष दोनों में से किसी एक के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। इसी प्रकार नक्षत्र, नदी, पर्वत, पक्षी के नाम वाली कन्या से विवाह न करने का क्या कारण हो सकता है? इस सम्बन्ध में आचार्य मनु मौन हैं। इसी नियम के अनुसार किसी कन्या का नाम गंगा, कावेरी, हंसिनी, कोकिला आदि होगा तब वह विवाह योग्य नहीं मानी जायेगी। इसी प्रकार रोगिणी कन्या से विवाह का निषेध सुधार की अपेक्षा रखता है अध्किांश रोग उपचार द्वारा संभव हैं, कन्या की अधिक बोलने की प्रवृत्ति को भी मनोचिकित्सक द्वारा दूर किया जा सकता है। साथ ही भारतीय संस्कृति में तो योग प्राणायाम आदि द्वारा अधिकांश बीमारियॉ दूर करना संभव है। इसी प्रकार किसी कन्या का नाम भयंकर आदि होने पर उसे परिवर्तित कर दूसरा नाम रखा जा सकता है। अतः सीधे विवाह के अयोग्य ठहरा देना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता।

कहने का अभिप्राय यह है कि कभी कन्या का नाम तो कभी भाई न होना तो कभी अधिक बोलना आदि ऐसे रोड़े कन्या के विवाह में डाल दिए गए कि सामान्य रंग रूप वाली, परिस्थिति वाली कन्याओं का विवाह असंभव सा हो गया। आज वर्तमान में ऐसे परिवारों में सुख समृद्धि परिलक्षित होती है जिन्होंने पुत्री के पुत्र को गोद लिया या जिनके कुल में पुत्र नहीं हैं आदि।

संदर्भ

1. ब्रहमो दैवस्तथा आर्षः प्राजापत्यस्तथासुरः। गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्यष्टमोऽधमः ।। मनु–स्मृति 3.21
2. मनु0 – 3.27
3. वही – 3.28
4. वही – 3.29
5. वही – 3.30
6. वही – 3.31
7. वही – 3.32
8. वही – 3.33
9. वही – 3.34
10. वही – 3.23

11. वही – 3.54
12. वही – 3.29
13. वही – 3.51, 53
14. वही – 3.12
15. वही – 3.13
16. वही – 3.17 – 18
17. वही – 3.12
18. वही – 3.44
19. वही – 3.64
20. हीनक्रियंनिष्पुरूषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्। क्षम्याम्याख्यपस्मारिश्वित्रिकुष्ठिकुलानिच ।।– 3.7
21. नोद्वहेत्कपिलां कन्या नाधिकाड़गी् न रोगिणीम्। नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिड़ग्लाम्।। वही – 3.8
22. नक्षत्रवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतानामिकाम्। न पक्ष्यहि प्रेष्यनाम्नीं न च भीष्ण नामिकाम् ।। वही – 3.9
23. वही – 3.11